राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

F. 23(23) /NRHM/ISC/ZHL/108-Amb./2010/ 828 Date: 18 /05/11

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

विषयः—108 एम्बुलेंस से गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं (0—42 दिवस) को प्राथमिकता के आधार पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि राज्य में 108 एम्बुलेंस के द्वारा आपातकालीन स्थिति में मरीजो के परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। 108 ऐम्बुलेंस द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं (0—42 दिवस) के परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये।

अनेक बार एम्बुलेंस में परिवहन के दौरान वाहन में ही प्रसव हो जाता है। इमरजेन्सी में हुये ऐसे प्रसवों को संस्थागत प्रसव ही माना जाये। ऐसी स्थिति में प्रसूता एवं नवजात शिशु को नजदीक के राजकीय चिकित्सा संस्थान अथवा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में 48 घंटे तक भर्ती रखकर आवश्यक देखभाल सुनिश्चित कराई जाए एवं डिस्चार्ज के समय प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

प्रसव के समय 108 एम्बुलेंस में प्रसूता के साथ आशा—सहयोगिनी के आने की स्थिति में आशा—सहयोगिनियों को प्रसवपूर्व एवं प्रसवोपरान्त आवश्यक देखभाल किये जाने पर 200/— की प्रेरक राशि का नियमानुसार भुगतान किया जाए तथा शहरी क्षेत्र की आशा—सहयोगिनियों को किसी प्रकार की परिवहन राशि का भुगतान नहीं किया जाये।

108 एम्बूलेंस द्वारा प्रसुताओं को प्रसव हेतु चिकित्सालय तक लाने पर प्रसवोपरान्त दी जाने वाली रू 300/—परिवहन राशि में से 150/— की राशि का भुगतान प्रसुता को प्रसवोंपरान्त परिवहन राशि के रूप में बियरर चैंक द्वारा एवं शेष 150/— की राशि मेडिकल रिलीफ सोसायटी में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

परियोजना निदेशक
एनआरएचएम

F. 23(23) /NRHM/ISC/ZHL/108-Amb./2010/ Date: /05/11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु : —

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान,जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनआरएचएम), जयपुर।
4. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, आरसीएच/जन स्वास्थ्य/एड्स/आईईसी मुख्यालय, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
7. समस्त प्राचार्य/अधीक्षक सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज।
8. समस्त अधीक्षक महिला चिकित्सालय सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज।
9. जिला प्रमुख, समस्त जिले।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिले।
12. संयुक्त निदेशक, जोन–जयपुर/अजमेर/जोधपुर/ उदयपुर/कोटा/बीकानेर/ भरतपुर।
13. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक।
15. राज्य नोडल अधिकारी, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यालय, जयपुर।
16. डिविजनल एमसीएच कॉर्डिनेटर अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर।
17. प्रोजक्ट हैड – राजस्थान, जिकित्सा हैल्थ केयर, झालाना डूंगरी, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु (0–42 दिवस) को प्राथमिकता के अधार पर एम्बूलेंस की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
18. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त जिलों में एवं सम्बन्धितों को ई–मेल द्वारा सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
19. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनआरएचएम